19.12.18 पत्रावली पेश हुई बजिस मामला अरुण/सापल का मुलवाद अदम पैरवी व अदम दायरी के खारीज हो चुका है अतः प्रा० पत्र 212 R.T.Act को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली की कार्यवाही भी अदम पैरवी व अदम दायरी के खारीज की जाती है। पत्रावली केवल भुमाह होम नम्बर के कारण है। वाद मूर्ति संलग्न मुकदमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०